हेमा

बनाम

मद्रास राज्य जरिए पुलिस निरीक्षक

(2013 की आपराधिक अपील संख्या 31)

7 जनवरी 2013

[पी. सथाशिवम, रंजन गोगोई और बनाम गोपाल गौड़ा, जेजे.]

दंड संहिता, 1860-धारा120बी और 420 आर/डब्ल्यू. धारा 511, 465 और 471 के तहत अभियोजन, पासपोर्ट कार्यालय को धोखा देने के लिए आपराधिक साजिश के अपराध के लिए, जाली संलग्नक के साथ डुप्लिकेट फ़ाइल नंबरों के साथ पूर्व-दिनांकित पासपोर्ट आवेदनों के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए- निचली अदालतों द्वारा दोषसिद्धि आयोजित: अभियोजन ने अपना मामला साबित कर दिया सुप्रीम कोर्ट नीचे की अदालतों द्वारा तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, सिवाय इसके कि जहां सबूतों की सराहना में गंभीर कमजोरी हो और निष्कर्ष विकृत हों, दोषसिद्धि की पुष्टि की गई है, हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आरोपी के पास एक छोटा बच्चा है, सजा को घटाकर छह कर दिया गया है। दो साल से महीने भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 136।

राज्य पुलिस और सीबीआई द्वारा समानांतर जांच की अनुमति - वर्तमान मामले में जांच राज्य पुलिस द्वारा शुरू की गई थी और बाद में अपराध की मात्रा और महत्व को देखते हुए सीबीआई ने इसे अपने हाथ में ले लिया - इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, धारा 5(3)में सीबीआई द्वारा जांचजारी रखने में कोई कमजोरी नहीं है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946-धारा की धारा 5 (3)।

आपराधिक मुकदमा-दोषपूर्ण जांच-धारण का प्रभाव केवल जांच में दोष और जांच अधिकारी की ओर से चूक बरी करने का आधार नहीं हो सकती - यह हैअदालत को ऐसी खामियों से बचने के लिए अभियोजन पक्ष के सबूतों की जांच करनी चाहिए।

अपीलकर्ता-अभियुक्त संख्या 5, चार अन्य आरोपी व्यक्तियों यानी ए-1 से ए-4 के साथ एसएस के तहत मुकदमा चलाया गया था। 120बी, 420, 465 और 471 आईपीसी। यह आरोप लगाया गया था कि ए-3 द्वारा संचालित एक ट्रैवल एजेंसी के कर्मचारी ए-5 ने अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलकर पूर्व-दिनांकित पासपोर्ट आवेदनों के आधार पर 42 पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को धोखा देने की आपराधिक साजिश रची थी। डुप्लिकेट फ़ाइल नंबर और जाली संलग्नक जैसे पुलिस

सत्यापन प्रमाण पत्र आदि। प्रारंभ में मामले की जांच राज्य पुलिस द्वारा की गई थी, लेकिन बाद में जांच सीबीआई द्वारा की गई थी। इसके बाद सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने अपीलकर्ता-अभियुक्त नंबर 5 को धारा 120बी, 420 आर/डब्ल्यू धारा511, 465 और 471 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया। उसे डिफॉल्ट क्लॉज के लिए आर1 को2 साल की सजा सुनाई गई थी। ए-1 से ए-3 को भी दोषी ठहराया गया। हाई कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के आदेश की पुष्टि की

ए-5 द्वारा त्वरित अपील दायर की गई। उन्होंने तर्क दिया कि पूरी जांच को खारिज करने की जरूरत है, क्योंकि राज्य पुलिस और सीबीआई द्वारा समानांतर कार्यवाही की अनुमति नहीं है; यह साबित करने के लिए मूल मुहरें और रबर स्टांप प्रस्तुत नहीं किए गए कि मुहरें और स्टांप जाली थे; अभियोजन पक्ष एमओएस की मुहरों की छाप के संबंध में एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्शित करने में विफल रहा। ए-3 की निशानदेही पर 1 से 3 बरामद; पीडब्लू-16 और पीडब्लू-29 के नमूना हस्ताक्षर हस्तलेखन विशेषज्ञ को नहीं भेजे गए थे; कि प्रमाणित करने वाले अधिकारी (पीडब्लू 18) की मुहर और नमूना हस्ताक्षरों को जाली साबित करने के लिए सीबीआई द्वारा एकत्र नहीं किया गया था; पूर्व में कोई दस्तावेज़ या संकेत नहीं था।पी-3 से पी-43 तक यह दिखाने के लिए कि उन्हें ए-3 की ट्रैवल एजेंसी द्वारा

भेजा गया था; और ग्राम प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र किआवेदक उल्लिखित स्थान के निवासी नहीं थे। तहसीलदार द्वारा प्रमाणीकरण के अभाव में आवेदन पत्र की कोई कानूनी पवित्रता नहीं है।

कोर्ट ने अपील का निपटारा करते हुए अभिनिर्धारित किया कि:-

1.1. यह स्थापित कानून है कि न केवल निष्पक्ष सुनवाई, बल्कि निष्पक्ष जांच भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 के तहत गारंटीकृत संवैधानिक अधिकारों का हिस्सा है। तदनुसार, जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और विवेकपूर्ण होनी चाहिए और यह कानून के शासन की तत्काल आवश्यकता है। वर्तमान मामले में, हालांकि राज्य अपराध शाखा ने जांच शुरू की, बाद में, अपराध की मात्रा और महत्व को देखते हुए इसे सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया। [पैरा 8][12-बी-ई]

बाबूभाई बनाम गुजरात राज्य और अन्य। 2010 (12) एससीसी 254: 2010(10) एससीआर 651 प्रतिष्ठित।

1.2. केवल जांच में खामियां और आई.ओ. की ओर से चूक, बरी करने का आधार नहीं हो सकती। इसके अलावा, भले ही जांच एजेंसी की ओर से कोई लापरवाही हुई हो या चूक आदि हुई हो, अदालत की ओर से यह दायित्व है कि वह अभियोजन पक्ष के सबूतों की जांच करे ताकि यह

पता लगाया जा सके कि उक्त सबूत विश्वसनीय है या नहीं। और क्या ऐसी चूकें सच्चाई का पता लगाने के उद्देश्य को प्रभावित करती हैं। [पैरा 13] [21-बी-सी]

सी. मुनियप्पन और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य 2010 (9) एससीसी 567: 2010 (10) एससीआर 262; दयाल सिंह और अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य 2012 (8) एससीसी 263: 2012 (10) एससीआर 157; गाजू बनाम उत्तराखंड राज्य 2012 (9) एससीसी 532: 2012 (7) एससीआर 1033 पर भरोसा किया गया।

2.1. यह कहना सही नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित नहीं किया है कि पासपोर्ट आवेदन जमा करने के उद्देश्य से ट्रैवल एजेंसी को ए-3 द्वारा चलाया गया था। पीडब्लू 11, 13 के साक्ष्य से स्पष्ट हैऔर 9 कि ए-3 ने प्रासंगिक अवधि के दौरान पीडब्लू-11 से संबंधित परिसर पर कब्जा कर लिया था और वह उस स्थान पर एक ट्रैवल एजेंसी चला रहा था। [पैरा 14] [21-ई; 22-ए-बी]

2.2. यह कहना भी गलत है कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि प्रदर्श पी-2 से पी-43 को ए-3 की ट्रैवल एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ए-5, जो ए-3 की उक्त ट्रैवल एजेंसी में क्लर्क के रूप में काम कर रहा था, ने अपने बयान में धारा 313 सीआर.पी.सी.के तहत स्वीकार किया है।

प्रासंगिक समय में वह उस ट्रैवल एजेंसी के साथ काम कर रही थी और वह पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट आवेदन जमा करती थी और कार्यालय से पासपोर्ट प्राप्त करती थी। उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट होता है कि वह आवेदन तैयार करने और उन्हें पासपोर्ट कार्यालय के समक्ष दाखिल करने और उससे जुड़े मामलों से निपटने में ए-3 की सहायता कर रही थी। यह तथ्य प्रदर्श पी-2 से भी स्पष्ट है। [पैरा 15] [22-बी-डी]

2.3. ए-3 के इकबालिया बयान का स्वीकार्य हिस्सा जिसे प्रदर्श पी-215 के रूप में चिह्नित किया गया है और जिसके कारण जाली/गढ़े हुए रबर स्टांप सील की बरामदगी हुई, एम.ओएस 1 से 3 को प्रदर्श पी-216 के तहत उसके आदेश पर जब्त कर लिया गया। मजहर, ग्राम प्रशासनिक अधिकारी (पीडब्लू-15) और ग्राम मेनियाल की उपस्थिति में अभियोजन पक्ष के मामले को भी साबित करते हैं और अपीलकर्ता के रुख को खारिज करते हैं। [पैरा 16] [22-ई-एफ]

2.4. यह दलील कि पुलिस सत्यापन फॉर्म, अर्थात् प्रदर्श-128 से 136 और 161 से 202 इस तथ्य के आलोक में जाली साबित नहीं हुए कि पीडब्ल्यू-16 और 29 के बाद के हस्ताक्षर पीडब्ल्यू-28 को नहीं भेजे गए थे, हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय स्वीकार्य नहीं है। पीडब्ल्यू-26, पीडब्ल्यू-16, और पीडब्ल्यू-29 के स्पष्ट बयान के मद्देनजर, उनके बयानों और दावों से

यह स्पष्ट है कि उक्त 42 आवेदनों के सत्यापन प्रपत्रों पर संबंधित अधिकारियों और ट्रायल जज द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है। यह निष्कर्ष निकालने में सही था कि वे जाली थे। डीएसपी, डीसीआरबी के कार्यालय में बनाए गए रजिस्टरों का केवल गैर-उत्पादन, पीडब्लू 16, 26 और 29 के साक्ष्य के प्रकाश में इस मामले में कमजोरी नहीं माना जा सकता है, जो उन दस्तावेजों से संबंधित प्रासंगिक अधिकारी हैं। [पैरा 18] [23-बी-सी, जी-एच; 24-ए]

2.5. आवेदनों में पीडब्लू-18 और पीडब्लू-20, जो सभी स्वतंत्र गवाह हैं, के नमूना हस्ताक्षर जाली थे। यह उनके साक्ष्यों से स्पष्ट है। उनके साक्ष्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है और ट्रायल जज ने इसे सही ही स्वीकार किया है। [पैरा 19] [24-बी-सी]

2.6. ग्राम प्रशासनिक अधिकारियों के साक्ष्य एवं उनके द्वारा जारी प्रमाण पत्रों के संबंध में कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। दस्तावेजों को संबंधित गांवों के ग्राम प्रशासनिक अधिकारियों और इसके लिए क्षेत्रीय जांच करने वाले अधिकारियों के माध्यम से उचित रूप से चिह्नित किया गया था।[पैरा 20] [24-सी-डी]

2.7. एम.ओएस 1 से 3 की वसूली में कोई दुर्बलता नहीं है। संबंधित ग्राम प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस उपाधीक्षक, सिविल सर्जन (पीडब्लू-

18), सरकारी अस्पताल, नगर पंचायत के कार्यकारी अधिकारी (सेवानिवृत्त) (पीडब्लू-20) के साक्ष्य यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलकर्ता द्वारा आवेदन में दिए गए गलत पते के समर्थन में पासपोर्ट प्राप्त करने के उद्देश्य से जाली प्रमाणित दस्तावेज़ बनाए और संलग्न किए गए थे। उपरोक्त तथ्य पीडब्लू-15 के साक्ष्य, ए-3 द्वारा दिये गये इकबालिया बयान से भी स्पष्ट है जो उनकी उपस्थिति में साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दर्ज किया गया था तथा एम.ओएस. 1 से 3 जो मजार की आड़ में बरामद किये गये थे। (प्रदर्श पी-216) ए-3 के आदेश पर और साक्ष्य के स्वीकार्य हिस्से के कारण रिकवरी हुई। जिसे प्रदर्श 215 के रूप में चिह्नित किया गया है। अपीलकर्ता द्वारा बताए गए विरोधाभास केवल प्रकृति में तुच्छ हैं जैसा कि ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी पाया है, तदनुसार, इसे एक नहीं माना जा सकता है। सामग्री एक ताकि अभियोजन पक्ष के संस्करण को प्रभावित किया जा सके। [पैरा 21] [24-ई-एच; 25-ए]

2.8. पीडब्लू 16, 26 और 29 पुलिस के डीएसपी और एस.आई. ने मुहरों एम.ओएस. 1 से 3 की वास्तविकता से स्पष्ट रूप से इनकार किया है और इस प्रकार विशेषज्ञ की राय का अभाव अपने आप में अपीलकर्ता के दायित्व से मुक्त नहीं होता है। उपरोक्त मुहरों की छाप के संबंध में

एफएसएल की रिपोर्ट प्रदर्शित करने में अभियोजन की विफलता अभियोजन के लिए घातक नहीं है। [पैरा 22] [25-बी-सी)

2.9. पीडब्ल्यू-14 का साक्ष्य, जिसने प्रदर्श पी-2 से पी-43 में उपलब्ध लेखन को ए-5 के रूप में पहचाना, धारा के तहत स्वीकार्य है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 47 ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप तय करते हुए उस पर सही कार्रवाई की, क्योंकि यह साबित हुआ कि उसने साजिश के तहत अपराध किया था। [पैरा 23] [25-ई-एफ]

2.10. सिर्फ इसलिए कि आवेदन किसी व्यक्ति द्वारा भरे गए थे, इससे स्वचालित रूप से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि कोई व्यक्ति साजिश में एक पक्ष है। लेकिन, मौजूदा मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा यह बहुत अच्छी तरह से स्थापित किया गया है कि भरे हुए पासपोर्ट आवेदन ए-5 द्वारा उसके नियोक्ता ए-3 की ओर से प्रस्तुत किए गए थे। इसके अलावा, अधिकांश पासपोर्ट आवेदनों (उदाहरण पी-2 से पी-43) में, उसके द्वारा फर्जी विवरण भरे गए थे। अभियोजन पक्ष ने यह भी स्थापित किया है कि ए-5 ने पासपोर्ट आवेदनों में आवेदकों के निवास स्थान के संबंध में गलत विवरण दिया है, क्योंकि उसने 313 बयान में स्वीकार किया था कि वह ए-3 की ट्रैवल एजेंसी में काम कर रही थी और तैयारी में उसकी सहायता कर

रही थी। आवेदन और उन्हें पासपोर्ट कार्यालय के समक्ष दाखिल करने के साथ-साथ उनसे जुड़े मामलों को संभालना जो स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि ए-5 ने उक्त पासपोर्ट आवेदन (उदाहरण पी-2 से पी-43) भर दिए हैं। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि धोखाधड़ी के उद्देश्य से झूठे दस्तावेज़ बनाए गए थे। पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए उन दस्तावेजों को वास्तविक के रूप में उपयोग किया गया था। [पैरा 24] [25-एफ-एच; 26-ए-सी]

2.11. अभियोजन पक्ष द्वारा रखे गए भारी सबूतों के प्रकाश में, ट्रायल कोर्ट द्वारा विश्लेषण किया गया और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई, नीचे की अदालतों द्वारा तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों के साथ इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि जहां प्रशंसा में कुछ गंभीर कमजोरी हो। साक्ष्य और निष्कर्ष विकृत हैं। इसके अलावा, यह न्यायालय आमतौर पर उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य की सराहना में हस्तक्षेप नहीं करेगा और पुनर्मूल्यांकन की अनुमति केवल तभी है जब कानून या प्रक्रिया की कोई त्रुटि हो और जो निष्कर्ष आया हो वह विकृत हो। [पैरा 25] [26-सी-ई]

3. हालाँकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता के पास एक छोटा बच्चा है, दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए, सजा को दो साल से घटाकर छह महीने कर दिया जाता है। [पैरा 26] [26-ई]

केस कानून संदर्भ:

2010 (10) एससीआर 651	विशिष्ट	पैरा 8
2010 (10) एससीआर 262	पर भरोसा	पैरा 10
2012 (10) एससीआर 157	पर भरोसा	पैरा 11
2012 (7) एससीआर 1033	पर भरोसा	पैरा 12

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार:आपराधिक अपील संख्या 31/2013।

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई खंडपीठ के सीआरएल 2004 ए. (एमडी) संख्या 37 में पारित उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 29.04.2011 से।

एस. प्रभाकरन, एस. पलानीकुमार, पी. सोमा सुंदरम, राजाकुमार, आर.एस. कृष्ण कुमार, महादेवन अपीलकर्ता की ओर से।

एच.पी. रावल, एएसजी, श्रीनिवास खलप, आनंदो मुखर्जी, प्रकृति पूर्णिमा, बी.वी. बलराम दास, अरविंद कुमार शर्मा प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय पी सथाशिवम जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अवकाश स्वीकृत।

2. यह अपील मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई पीठ द्वारा 2004 की आपराधिक अपील (एमडी) संख्या 37 में पारित अंतिम निर्णय और सामान्य आदेश दिनांक 29.04.2011 के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया था। (उसमें ए-5) सीबीआई मामलों के प्रधान विशेष न्यायाधीश, मदुरई की अदालत द्वारा पारित दिनांक 28.07.2004 के फैसले की पुष्टि करते हुए।

3. संक्षिप्त तथ्य:

(ए) अभियोजन पक्ष के अनुसार, वर्ष 1992 के दौरान, अपीलकर्ता (ए-5) ने अन्य आरोपी व्यक्तियों (ए-1 से ए-4) के साथ क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को धोखा देने के लिए एक आपराधिक साजिश रची थी। त्रिची ने डुप्लिकेट फ़ाइल नंबरों के साथ पूर्व-दिनांकित पासपोर्ट आवेदन बनाने के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए, ताकि उन्हें पुराने मामलों के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, जाली संलग्नक जैसे कि पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र आदि के साथ। उक्त साजिश के अनुसरण में, ए -2, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, त्रिची में लोअर डिवीजन क्लर्क होने के नाते, ए-4 और ए-5 (यहां अपीलकर्ता) की सहायता से ए-3 द्वारा संचालित गुडलक ट्रेवल्स, त्रिची द्वारा दायर 42 जाली पासपोर्ट आवेदनों को धोखाधड़ी से प्राप्त किया और

संसाधित किया। और संदर्भ संख्या, शुल्क प्रमाणीकरण आदि का गलत समर्थन किया और ए-1, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, त्रिची के अधीक्षक होने के नाते, अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए, उक्त 42 आवेदनों के संबंध में पासपोर्ट जारी करने के आदेश दिए।

(बी) उसी के अनुसरण में, 09.02.1993 को, तमिलनाडु के रामनाथपुरम में जिला अपराध शाखा को पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी), डीसीआरबी रामनाद से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें पासपोर्ट अधिकारी त्रिची द्वारा दी गई एक शिकायत थी। उसी के आधार पर, जिला अपराध शाखा, रामनाद द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 419, 420, 465 और 467 के तहत 1993 के आपराधिक मामले संख्या 1 के रूप में मामला दर्ज किया गया था।

(सी) जब पुलिस निरीक्षक, डीसीबी ने जांच शुरू की, तो सीबीआई ने हस्तक्षेप किया और धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत आईपीसी की धारा और धारा 13(2), के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी), 1988 (संक्षेप में पीसी अधिनियम') की पठित धारा 120-बी के तहत 11.05.1973 को आरसी-21(ए)/93 के रूप में पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की। जांच के बाद, मामला मदुरई के सीबीआई मामलों के लिए विशेष अदालत को सौंप दिया गया और 1996 के सीसी नंबर 38

के रूप में क्रमांकित किया गया। 01.08.1996 को, विशेष अदालत ने ए-1 से ए-5 के खिलाफ आईपीसी की धारा 120-बी के तहत आरोप तय किए और यहां अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 465 और 471 के तहत (ए-5) और धारा 13(1)(डी) के तहत विशिष्ट आरोप, ए-1 के खिलाफ पीसी अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पढ़ें और इसके तहत ए-2 के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 और पीसी एक्ट की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) के तहत और ए-3 के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 465 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

(डी) दिनांक 28.07.2004 के आदेश द्वारा, प्रधान विशेष न्यायाधीश ने ए-1 को ए-3 और ए-5 को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। वर्तमान अपील में, हमारा संबंध केवल ए-5 से है, जिसे दोषी ठहराया गया था और प्रत्येक अपराध के लिए 5,000/- रुपये के जुर्माने के साथ 2 साल के लिए आरआई से गुजरने की सजा सुनाई गई थी, डिफ़ॉल्ट रूप से, प्रत्येक अपराध के लिए 6 महीने के लिए आरआई से गुजरना होगा। आईपीसी की धारा 120-बी, 420 के साथ धारा 511, 465 और 471 के तहत। (कुल जुर्माना रु. 15,000/-)।

(ई) दोषसिद्धि और सजा के उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के समक्ष 2004 की आपराधिक अपील संख्या 37 दायर की। दिनांक 29.04.2011 के आक्षेपित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया अन्य के संबंध में दायर अपीलों के अन्य सेट के साथ ही आरोपियों ने उनकी दोषसिद्धि और दी गई सजा की पुष्टि की। ट्रायल कोर्ट द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर ए-5 ने अकेले इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति के माध्यम से इस अपील को प्राथमिकता दी है।

4. अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री एस. प्रभाकरन और श्री एच.पी. को सुना। रावल, प्रतिवादी-सीबीआई के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे।

विवाद:

5. अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री एस. प्रभाकरन ने हमें ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय के आदेश सहित संपूर्ण सामग्री से अवगत कराने के बाद कहा कि राज्य अपराध शाखा द्वारा प्रारंभिक कार्यवाही और सीबीआई द्वारा बाद की कार्यवाही नहीं की जा सकती। अनुमति दी जाए, इसलिए, पूरी जांच को खारिज कर दिया जाए। दूसरे शब्दों में, उनके अनुसार, राज्य अपराध शाखा और सीबीआई द्वारा समानांतर कार्यवाही की

अनुमति नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने प्रस्तुत किया कि पुलिस अधिकारियों से मूल मुहरें और रबर स्टांप जब्त नहीं किए गए हैं और उन्हें 1.0 द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह साबित करने के लिए कि मुहरें और मोहरें जाली थीं। उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष एम.ओएस. 1 से 3 की सीलों की छाप के संबंध में एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्शित करने में विफल रहा है, जिसे अभियोजन पक्ष ने ए-3 के कहने पर बरामद किया था, जबकि इसे द्वारा भेजा गया था। श्री महादेवन (पीडब्लू-30), पुलिस निरीक्षक। उनके अनुसार, श्री नटराजन (पीडब्लू-16), डीएसपी, और आर. मुनियांदी (पीडब्लू-29), पुलिस उप-निरीक्षक के हस्ताक्षर के नमूने हस्तलेखन विशेषज्ञ के पास उनकी राय के लिए नहीं भेजे गए हैं। इसके अलावा, प्रमाणित करने वाले अधिकारी, अर्थात, डॉ. मुथु (पीडब्लू-18) की मुहर और नमूना हस्ताक्षर को यह साबित करने के लिए सीबीआई द्वारा एकत्र नहीं किया गया था कि मुहर और नमूना हस्ताक्षर जाली थे। प्रदर्श पी-3 से पी-43 में ऐसा कोई दस्तावेज़ या संकेत नहीं मिला है जो यह दर्शाता हो कि उन्हें मेसर्स गुडलक ट्रैवल्स द्वारा त्रिची स्थित पासपोर्ट कार्यालय में भेजा गया था। अंत में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि ग्राम प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों के बावजूद कि आवेदक आवेदन पत्र में उल्लिखित स्थान के निवासी नहीं थे, तहसीलदार

द्वारा प्रमाणीकरण के अभाव में उनकी रिपोर्ट की कोई कानूनी पवित्रता नहीं है।

6. सीबीआई की ओर से उपस्थित विद्वान एएसजी श्री रावल ने सभी तर्कों को पूरा किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि दावा है कि जिला अपराध शाखा (डीसीबी) और सीबीआई द्वारा समानांतर कार्यवाही, हालांकि ट्रायल कोर्ट, उच्च न्यायालय और यहां तक कि अपील के आधार पर भी आग्रह नहीं किया गया है, हालांकि, ऐसे दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है। वैसे भी उनके मुताबिक अगर जांच में कोई खामी है तो इस आधार पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता. अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए सबूतों, ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय के निष्कर्षों के माध्यम से हमें बताते हुए, एएसजी ने प्रस्तुत किया कि दो अदालतों के समवर्ती निर्णय के मद्देनजर, किसी भी विकृति की अनुपस्थिति में, इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप किया गया है। की गारंटी नहीं है

बहस:

7. अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री प्रभाकरन द्वारा दावा किए गए समानांतर कार्यवाही के बारे में मुख्य आपत्ति के संबंध में, जैसा कि पहले कहा गया है, यह आपत्ति न तो ट्रायल कोर्ट के समक्ष या उच्च न्यायालय

के समक्ष और यहां तक कि आधार में भी नहीं उठाई गई थी। इस न्यायालय के समक्ष अपील करें, तथापि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि हम आपराधिक अभियोजन से संबंधित मामले से निपट रहे हैं, हमने इस पहलू पर वकील को सुना। उन्होंने बताया कि पहली एफआईआर दिनांक 09.02.1993 को श्री वी.ए. ब्रिटो, पासपोर्ट अधिकारी, त्रिची की शिकायत पर दर्ज की गई थी। उक्त एफआईआर को प्रदर्श पी-214 के रूप में अंकित किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि दूसरी एफआईआर, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, मद्रास शाखा के कहने पर, 11.05.1993 को तीन व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई थी, अर्थात् (1) पी. दुरई, अधीक्षक, पासपोर्ट कार्यालय, त्रिची (2) पी.एम. राजेंद्रन, एलडीसी, पासपोर्ट कार्यालय, त्रिची और (3) मेसर्स गुडलक ट्रेवल्स, तिरुवदनई, रामनाड जिला, तमिलनाडु। उक्त रिपोर्टों, विशेष रूप से दूसरी एफआईआर के माध्यम से हमें बताते हुए, अपीलकर्ता के वकील ने बताया है कि उक्त रिपोर्ट एक विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त विश्वसनीय जानकारी के आधार पर आगे बढ़ती है। उसी का मनोरंजन और पंजीकरण किया गया। उसी पर विचार किया गया और आरसी नं. 21 (ए)/93 एस. अरूलनाडु, पुलिस निरीक्षक द्वारा, के रूप में पंजीकृत किया गया। एसपीई : सीबीएल : एसीबी : मद्रास। इन विवरणों को इंगित करके यह अपीलकर्ता के वकील द्वारा तर्क दिया गया कि पाठयक्रम कुछ व्यक्तियों

से पूछताछ में अभियोजन पक्ष द्वारा अपनाया गया। डीसीबी, अर्थात राज्य पुलिस और शेष व्यक्तियों द्वारा सीबीआई की अनुमति नहीं है।

8. यह स्थापित कानून है कि न केवल निष्पक्ष सुनवाई, बल्कि निष्पक्ष अनुसंधान भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 के तहत गारंटीकृत संवैधानिक अधिकारों का हिस्सा है। तदनुसार, जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और विवेकपूर्ण होनी चाहिए और यह कानून के शासन की तत्काल आवश्यकता है। जैसा कि इस न्यायालय न बाबूभाई बनाम गुजरात राज्य और अन्य, 2010(12) एससीसी 254 में प्रतिपादित किया कि जांच अधिकारी को दागी और पक्षपातपूर्ण तरीके से जांच करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आगे यह देखा गया कि जहां न्यायालय के हस्तक्षेप न करने से अंततः न्याय की विफलता होगी, वहां न्यायालय को हस्तक्षेप करना ही चाहिए। यद्यपि अपीलकर्ता द्वारा उपरोक्त निर्णय पर आश्रेय लिया गया था, लेकिन इसमें कोई विवाद नहीं है कि उस मामले में, उच्च न्यायालय ने विस्तृत कारण देकर यह निष्कर्ष निकाला है कि जांच पूरी तरह से दुर्भावना पर आधारित एक तरफा है। इसके अलावा, उस मामले में, जांच एजेंसी द्वारा दोनों मामलों में दायर आरोप पत्र एक ही आरोपी के खिलाफ थे। मौजूदा मामले में यह स्थिति नहीं थी. हालांकि राज्य अपराध

षाखा ने जांच शुरू की, तत्पश्चात अपराध की मात्रा और महत्व को देखते हुए इसे सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया।

9. इस संबंध में श्री रावल ने हमारा चित्र बनाकर एएसजी सीखा दिल्ली विशेष पुलिस के प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान दें स्थापना अधिनियम, 1946 ने प्रस्तुत किया कि द्वारा अपनाया गया पाठयक्रम निसंदेह उक्त अधिनियम के दायरे में है कानूनी तौर पर टिकाउ। उक्त अधिनियम की धारा 5 के बारे में बताया गया है विशेष स्थापना की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का विस्तार अन्य क्षेत्रों के लिए अधिनियम की धारा 5 हमारे उददेश्य के लिए प्रासंगिक है जो इस प्रकार है :-

> "5. विषेष पुलिस स्थापना की षक्तियों और अधिकार क्षेत्र का अन्य क्षेत्रों तक विस्तार-(1) केंद्र सरकार आदेश द्वारा किसी राज्य में, जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, किसी भी क्षेत्र (रेलवे क्षेत्रों सहित) धारा 3 के तहत अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी भी अपराध या अपराधों की श्रेणियों की जांच के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकती है।
>
> (2) जब उप-धारा (1) के तहत एक आदेश द्वारा उक्त पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को

किसी भी ऐसे क्षेत्र तक बढाया जाता है, तो उसका एक सदस्य, किसी भी आदेश के अधीन, जो केंद्र सरकार इस संबंध में कर सकती है, उस क्षेत्र में एक पुलिस अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करेगा और ऐसे कार्यों का निर्वहन करते समय, उस क्षेत्र के पुलिस बल का सदस्य माना जाएगा और उस पुलिस स्टेशन से संबंधित एक पुलिस अधिकारी की शक्तियों, कार्यों और विशेषाधिकारों के साथ निहित होगा और दायित्वों के अधीन होगा।

(3) जहां उप-धारा (1) के तहत ऐसा कोई आदेश किसी क्षेत्र के संबंध में किया जाता है, तो उप-धारा (2) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के रैंक के या उससे ऊपर के किसी भी सदस्य उप-निरीक्षक किसी भी आदेश के अधीन हो सकता है जो केंद्र सरकार इस संबंध में कर सकती है, उस क्षेत्र में एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और जब ऐसी शक्तियों का प्रयोग करती है, तो उसे प्रभारी अधिकारी माना जाएगा एक पुलिस स्टेशन अपने स्टेशन की

सीमा के भीतर ऐसे अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करता है।"

उप-धारा (3) जिसे 1964 के अधिनियम 40 द्वारा 18.12.1964 से जोड़ा गया था, यह स्पष्ट करता है कि केंद्र सरकार के आदेश पर, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के किसी भी सदस्य को अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति है उस क्षेत्र में एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय, उसे अपने स्टेशन की सीमा के भीतर ऐसे अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने वाले संबंधित पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी माना जाएगा। उप-धारा (3) में दिए गए आदेषों के आलोक में हमारा विचार है कि विद्वान एएसजी का यह तर्क सही है कि इस तथ्य के बाबजूद सीबीआई के अधिकारियों द्वारा जांच जारी रखने में कोई दुर्बलता या दोष नहीं है, कि राज्य अपराध षाखा ने षिकायत दर्ज की और कुछ हद तक जांच आगे बढ़ाई।

10. यह भी स्थापित विधि है कि जांच में कुछ खामियों के लिए आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। विभिन्न निर्णयों में इस पहलू पर विचार किया गया है। सी. मुनियप्पन और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य, 2010 (9) एससीसी 567 में, निम्नलिखित चर्चा और निष्कर्ष प्रासंगिक हैं जो इस प्रकार हैंः-

"55. किसी मामले में अत्यधिक दोषपूर्ण जांच हो सकती है। हालांकि, यह जांच की जानी है कि क्या आईओ द्वारा चूक हुई है और क्या ऐसी चूक के कारण आरोपी को कोई लाभ दिया जाना चाहिए। इस मद्दे पर कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि जांच में दोष अपने आप में दोषमुक्ति का आधार नहीं हो सकता। यदि इस तरह की डिजाइन की गई या लापरवाही भरी जांचों को या लापरवाही से की गई जांचों को प्राथमिकता दी जाती है, तो आपराधिक न्याय प्रषासन में लोगों का विश्वास और विश्वास खत्म हो जाएगा। जहां जांच एजेंसी की ओर से लापरवाही हुई है या चूक आदि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप दोषपूर्ण जांच करे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कहा गया साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं और यह किस हद तक विश्वसनीय है और क्या ऐसी चूक से सत्य का पता लगाने का उद्देश्य प्रभावित हुआ है। इसलिए, आपराधिक मुकदमें में न्यायिक जांच के लिए जांच एक अकेला क्षेत्र नहीं है। मामले में मुकदमे के निष्कर्ष को केवल जांच की ईमानदारी पर निर्भर रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

11. दयाल सिंह और अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य, 2012 (8) एससीसी 263 में, सी. मुनियप्पन (सुप्रा) में प्रतिपादित सिंद्धांतों को दोहराते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार कहाः

> "18.....केवल इसलिए कि पीडब्लू 3 और पीडब्लू 6 कानून की आवश्यकताओं के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहे हैं, और जांच में कुछ खामियां रही हैं, इससे आरोपी व्यक्तियों को उस हद तक लाभ नहीं होगा जितना उन्हें होगा इस आधार पर बरी करने के आदेश का हकदार है।...."

12. गाजू बनाम उत्तराखंड राज्य, 2012 (9) एससीसी 532 में, उसी सिद्धांत को फिर से दोहराते हुए, इस न्यायालय ने माना कि दोषपूर्ण जांच, जब तक कि अभियोजन मामले की जड़ को प्रभावित न करे और अभियुक्त के लिए प्रतिकूल न हो, न्यायालय द्वारा भौतिक विचार का पहलू नहीं होना चाहिए चूंकि, न्यायालय ने दोषपूर्ण जांच और उसके परिणाम के संबंध में पहले के सभी निर्णयों को वापस ले लिया है, इसलिए उन मामलों में निर्धारित आदेश का उल्लेख करना उपयोगी हैः

> 20. दोषपूर्ण जांच के संबंध में, इस न्यायालय ने दयाल सिंह बनाम उत्तरांचल राज्य में जांच अधिकारी के द्वारा चूक

और कमीशन के मामलों से निपटने के दौरान, और ऐसे मामलों में अदालत के कर्तव्य को निम्नानुसार मानाः (एससीसी पृष्ठ 280-83, पैरा 27-36)

> "27. अब, हम ऐसे मामलों में न्यायालय के कर्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। सती प्रसाद बनाम यूपी राजय में इस न्यायालय ने कहा कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि पुलिस रिकाॅर्ड संदिग्ध हो जाता है और जांच बेकार हो जाती है, तो यह देखना अदालत का कर्तव्य बन जाता है कि क्या अदालत में दिए गए सबूतों पर भरोसा किया जाना चाहिए और ऐसी खामियों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। जांच के जानबूझकर दोषपूर्ण होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, धनज सिंह बनाम पंजाब राज्य में इस न्यायालय ने कहाः (एससीसी पृष्ठ 657, पैरा **5**)'
>
> **5.** दोषपूर्ण जांच के मामले में अदालत को सबूतों के मूल्यांकन में सतर्क रहना होगा। लेकिन केवल दोष के आधार पर किसी आरोपी व्यक्ति को बरी करना

सही नहीं होगा; यदि जांच जानबूझकर दोषपूर्ण है तो ऐसा करना {तस्वीर} जांच अधिकारी के हाथों में खेलने के समान होगा।'

28. कृत्य और लोप के मामलों से निपटते हुए, पारस यादव बनाम बिहार राज्य में न्यायालय ने पिछले निर्णयों के अनुरूप सिद्धांत प्रतिपादित किया, कि यदि चूक या लोप जांच एजेंसी के द्वारा लापरवाही से या अन्यथा की जाती है, यह पता लगाने के लिए कि क्या उक्त साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं, ऐसी चूकों के बावजूद अभियोजन साक्ष्य की जांच की जानी आवश्यक है। अधिकारियों का दूषित आचरण अदालतों द्वारा साक्ष्यों के मूल्यांकन के रास्ते में नहीं आना चाहिए, अन्यथा जानबूझकर की गई शरारत जारी रहेगी और शिकायतकर्ता पक्ष को न्याय नहीं मिल पाएगा।

29. जाहिरा हबीबुल्लाह शेख (5) बनाम गुजरात राज्य में, न्यायालय ने आपराधिक मुकदमे में गवाहों की भूमिका के महत्व पर ध्यान दिया। विचारण प्रक्रिया की गुणवत्ता के महत्व और प्रधानता को बेंथम के शब्दों से देखा जा सकता है, जो कहते हैं कि गवाह न्याय की आंखें और कान होते

हैं। अदालत ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ऐसी स्थितियों में, एक तरफ अदालत की बड़ी जिम्मेदारी है औश्र दूसरी तरफ अदालतों को उन लोगों से गंभीरता से निपटना चाहिए जो बनावटी जांच में शामिल हैं। न्यायालय ने प्रतिपादित किया किः (एससीसी पृष्ठ 398, पैरा **42**)'

> 42. गवाह, पीड़ित या मुखबिर के साथ छेड़छाड़ के खिलाफ निषेध पर जोर देने के विधायी उपाय आज की आसन्न और अपरिहार्य आवश्यकता बन गए हैं। ऐसे आचरण जो अदालतों के समक्ष कार्यवाही में साक्ष्य की प्रस्तुति को नाजायज रूप से प्रभावित करते हैं, उनसे गंभीरता से औश्र सख्ती से निपटा जाना चाहिए। केवल अभियुक्तों के हितों की रक्षा के लिए कोई अनुचित चिंता नहीं होनी चाहिए। जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह समाज की आवश्यकताओं के प्रति अनुचित होगा। इसके विपरीत, एक निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए जहां आरोपी और अभियोजन पक्ष दोनों को अचित सौदा मिले। न्याय के अचित प्रशासन में

सार्वजनिक हित को उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए, जितना व्यक्तिगत आरोपी के हित को। इसमें अदालतों की अहम भूमिका है।'

30. समय बीतने के साथ, कानून भी विकसित हुआ और अदालत के आदेश में इस बात पर जोर दिया गया कि एक आपराधिक मामले में, कार्यवाही का भाग्य हमेशा पार्टियों के हाथों में पूरी तरह से नहीं छोड़ा जा सकता है। अपराध एक सार्वजनिक बुराई है, जो सार्वजनिक अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लंघन और उल्लंघन है, जो पूरे समुदाय को प्रभावित करता है और सामान्य रूप से समाज के लिए हानिकारक है।

31. उपरोक्त सिद्धांत को दोहराते हुए, एनएचआरसी बनाम गुजरात राज्य में इस न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दीः (एससीसी पीपी. 777-78, पैरा 6)

"35....निष्पक्ष सुनवाई की अवधारणा में आरोपी, पीड़ित और समाज के हितों का परिचित त्रिकोणीकरण शामिल है। समाज के हित को पूरी तरह से तिरस्कारपूर्ण और अवांछित व्यक्ति के रूप

में नहीं देखा जाना चाहिए। न्याय प्रशासन में जनता के विश्वास को बनाए रखना अदालतों का हमेशा एक सर्वोपरि कर्तव्य माना गया है - जिसे अक्सर 'कानून की महिमा' को साबित करने औश्र बनाए रखने के कर्तव्य के रूप में जाना जाता है। न्याय के उचित प्रशासन को हमेशा एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखा गया है, जो किसी विशेष मामले के निर्धारण तक ही सीमित नहीं है। यदि एक आपराधिक अदालत को न्याय देने में एक प्रभावी साधन बनना है, तो पीठासीन न्यायाधीश को एक दर्शक और महज रिकॉर्डिंग मशीन बनकर रहना बंद कर देना चाहिए, मुकदमे में भागीदार बनकर बुद्धिमत्ता, सक्रिय रुचि प्रदर्शित करनी चाहिए और सही तक पहुंचने के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक सामग्री जुटानी चाहिए। निष्कर्ष, सच्चाई का पता लगाना, और दोनों पक्षों और जिस समुदाय की वह सेवा करता है, दोनों को निष्पक्षता के साथ न्याय प्रदान करना चाहिए। आपराधिक न्याय का संचालन करने वाली अदालतें

कार्यवाही के संबंध में होने वाले कष्टप्रद या दमनकारी आचरण पर आंखें नहीं मूंद सकती हैं, भले ही निष्पक्ष सुनवाई अभी भी संभव हो सिवाय इसके कि निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायाधीशों के निष्पक्ष नाम और प्रतिष्ठा को कमजोर करने का जोखिम हो। निर्णायक।" (जाहिरा हबीबुल्लाह मामला, एससीसी पृष्ठ 395, पैरा **35**)'

32. कर्नाटक राज्य बनाम के यरप्पा रेड्डी के मामले में इस न्यायालय ने दोषपूर्ण जांच के समान प्रश्न पर विचार करने का अवसर दिया कि क्या जांच अधिकारी द्वारा स्टेशन हाउस डायरी में किसी भी हेरफेर को अभियोजन मामले के खिलाफ रखा जा सकता है। इस न्यायालय ने, पैरा 19 में, इस प्रकार कहाः (एससीसी पृष्ठ 720)

'**19** का लेकिन क्या उपरोक्त निष्कर्ष (कि स्टेशन हाउस डायरी वास्तविक नहीं है) का इस मामले में अन्य सबूतों पर कोई अपरिहार्य प्रभाव है ? यदि जांच करने पर अन्य साक्ष्य विश्वसनीय और स्वीकार्य पाए जाते हैं, तो क्या अदालत को जांच अधिकारी

द्वारा जांच करने या इतनी बेईमानी से रिकॉर्ड तैयार करने में दिखाई गई साजिशों से प्रभावित होना चाहिए? यह एक मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकता है कि चूंकि किसी आपराधिक मुकदमे में न्यायिक जांच के लिए जांच एक अकेला क्षेत्र नहीं है, इसलिए मामले में अदालत के निष्कर्ष को केवल जांच की ईमानदारी पर निर्भर रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह बिल्कुल तय है कि भले ही जांच अवैध हो या संदिग्ध हो, बाकी सबूतों की इसके प्रभाव की परवाह किए बिना स्वतंत्र रूप से जांच की जानी चाहिए। अन्यथा आपराधिक मुकदमा जांच अधिकारियों के शासन स्तर तक गिर जाएगा। जांच अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई पर अदालत को आपराधिक मुकदमों में प्रमुखता और सर्वोच्चता मिलनी चाहिए। मामले में जांच अधिकारियों द्वारा की गई गलतियों के लिए आपराधिक न्याय को हताहत नहीं बनाया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि अदालत आश्वस्त है कि घटना के गवाह की गवाही सच है तो अदालत

उस पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, भले ही मामले में जांच अधिकारी की भूमिका संदिग्ध हो।'

33. राम बाली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में। कर्णेल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य में दोहराया गया था और इस न्यायालय ने देखा था किः (राम बाली केस 15, एससीसी पृष्ठ 604, पैरा 12)

'12.....दोषपूर्ण जांच के मामले में अदालत को सबूतों का मूल्यांकन करते समय सतर्क रहना होगा। लेकिन केवल दोष के आधार पर किसी आरोपी व्यक्ति को बरी करना सही नहीं होगा; यदि जांच जानबूझकर दोषपूर्ण है तो ऐसा करना जांच अधिकारी के हाथों में खेलने के समान होगा।'

34. जहां हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली किसी आरोपी को दोषी साबित होने तक निष्पक्ष सुनवाई और निर्दोष होने की सुरक्षा प्रदान करती है, वहीं यह इस बात पर भी विचार करती है कि एक आपराधिक मुकदमा आरोपी, समाज और सभी के लिए न्याय करने और अभियोजन पक्ष को साबित करने का उचित मौका देने के लिए है। तभी विधिक

व्यवस्था कायम रह सकेगी। अदालतें न केवल यह सुनिश्चित करने का कार्य करती हैं कि किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा न मिले, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि कोई दोषी बच न पाये। दोनों ही न्यायाधीश के सार्वजनिक कर्तव्य हैं। मुकदमे के दौरान, विद्वान पीठासीन न्यायाधीश से निष्पक्षतापूर्वक और सही परिप्रेक्ष्य में काम करने की अपेक्षा की जाती है। जहां अभियोजन पक्ष अव्यवस्थित या जानबूझकर दोषपूर्ण जांच के आधार पर मुकदमे को गलत दिशा देने का प्रयास करता है, वहां अदालत को गहराई से सतर्क रहना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह के प्रयास के बावजूद, निर्धारक प्रक्रिया को विकृत नहीं किया जाए। वास्तव में 'निष्पक्ष सुनवाई' के इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अदालत को न्याय करने और समाज के हितों की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए।

35. यह हमें एक सहायक मुद्दे पर लाता है कि अदालत ऐसे मामलों में साक्ष्य की विवेचना कैसे करेगी। प्रदर्शी, विशेषज्ञ और चक्षूदर्शी साक्ष्यों में कुछ भिन्नता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर छोटी-

मोटी भिन्नता या असंगति न्याय के संतुलन को आरोपी के पक्ष में झुका देगी। बेशक, जहां विरोधाभास और विविधताएं गंभीर प्रकृति की है, जो स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किए जाने वाले मूल मामले के लिए विनाशकारी हैं, वे आरोपी को लाभ प्रदान कर सकते हैं। आम तौर पर अदालतें विशेषज्ञ साक्ष्यों को अधिक स्वीकार्यता की दृष्टि से देखती हैं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि न्यायालय विशेषज्ञों की रिपोर्ट से पूरी तरह निर्देशित नहीं होती हैं, खासकर तब जब ऐसी रिपोर्टें निरर्थक, अस्थिर हों और जानबूझकर की गई कार्रवाई का परिणाम हों। कमलजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य में, न्यायालय ने, चक्षूदर्शी एवं विशेषज्ञ साक्ष्यों के बीच विसंगतियों से निपटते हुए कहाः (एससीसी पृष्ठ 159, पैरा 8) '

"8. यह स्थापित और पुराना कानून है कि विशेषज्ञ साक्ष्य और चक्षूदर्शी साक्ष्य के बीच मामूली अंतर से बाद वाले की प्रधानता नहीं छीनी जा सकती। जब तक चिकित्सीय साक्ष्य

इतना आगे नहीं बढ़ जाता कि चश्मदीदों की गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता।'

36. जहां प्रत्यक्षदर्शी का विवरण विश्वसनीय और भरोसेमंद पाया जाता हे, वैकल्पिक संभावनाओं की ओर इशारा करने वाली चिकित्सा राय को निर्णायक नहीं माना जा सकता है।

> '34.....विशेषज्ञ गवाह से अपेक्षा की जाती है कि वह अदालत के सामने डेटा समेत सभी सामग्री रखे, जिसने उसे निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रेरित किया और विज्ञान की शर्तों की जांच करके मामले के तकनीकी पहलू पर अदालत को बताये हालांकि, कोई विशेषज्ञ उन सामग्रियों पर अपना निर्णय नहीं दे सकता है, किन्तु एक बार विशेषज्ञ की राय स्वीकार कर लेने के बाद, यह विशेषज्ञ की नहीं बल्कि अदालत की {किन्तु} राय है।"

13. यह स्पष्ट है कि केवल जांच में कुछ दोष, अनुसंधान अधिकारी की ओर से चूक, बरी करने का आधार नहीं हो सकता। इसके अलावा, भले ही जांच एजेंसी की ओर से लापरवाही हुई हो या चूक आदि हुई हो, न्यायालय का यह दायित्व है कि वह अभियोजन पक्ष के सबूतों की जांच

करे ताकि यह पता लगाया जा सके कि उक्त सबूत विश्वसनीय है या नहीं। और क्या ऐसी चूकें सच्चाई का पता लगाने के उद्देश्य को प्रभावित करती हैं। उपरोक्त सिद्धांतों के प्रकाश में, जैसा कि देखा गया है, हम अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील के मुख्य तर्क को अस्वीकार करते हैं, हालांकि, जैसा कि उपरोक्त निर्णयों में देखा गया है, आइए हम अभियोजन पक्ष द्वारा आश्रय ली गई सामग्री की जांच करें और पता लगाएं कि क्या मामला सही है। अपीलार्थी के विरूद्ध बनाया गया है।

अभियोजन मामले गुणदोष पर चर्चाः

14. अपीलकर्ता का दावा है कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित नहीं किया है कि पासपोर्ट आवेदन जमा करने के उद्देश्य से ट्रैवल एजेंसी को एस. राजेंद्रन (ए-3) द्वारा चलाया गया था। अपीलकर्ता के अनुसार, प्रदर्श 2 से 43 गलत है। उक्त तर्क इसलिए खारिज किये जाने योग्य है, क्योकि पलानीअप्पन (पीडब्लू-11), जो कि बस स्टैंड कराईकुडी के पास, एमसीटी बिल्डिंग नंबर 48/9 की इमारत का मालिक है, ने उक्त इमारत की पहली मंजिल को एस राजेन्द्र (ए-3) को गुडलक ट्रेवल्स के नाम और शैली में एक ट्रैवल एजेंसी चलाने के उद्देश्य से पट्टे पर दे दिया है। जिरह में भी उक्त भवन के मालिक पीडब्लू-11 ने स्वीकार किया कि ए-3 उसके अधीन किरायेदार था। इसके अलावा, दाऊद (पीडब्लू-11) के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट

है कि राजेन्द्रन (ए-3) गुडलक ट्रेवल्स के नाम और शैली में कराईकुडी में एक ट्रैवल एजेंसी चलारहा था। यह बताना भी प्रासंगिक है कि सहायक रजिस्ट्रार, रामनाद जिला (पीडब्लू-9) के साक्ष्य के अनुसार, गुडलक ट्रेवल्स को जिला रजिस्ट्रार, कराईकुडी के कार्यालय में एक फर्म के रूप में पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त सामग्रियों से यह स्पष्ट है कि ए-3 ने 1991-93 की अवधि के दौरान पीडब्लू-11 से संबंधित उक्त परिसर पर कब्जा कर लिया था और वह उस स्थान पर एक ट्रैवल एजेंसी चला रहा था।

15. अपीलकर्ता का यह दावा कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि म्गच.2 से च्.43 को गुडलक ट्रैवल्स द्वारा प्रस्तुत किया गया था, गलत है क्योकि हेमा (ए-5), जो उक्त में क्लर्क के रूप में काम कर रही थी। ए-3 की ट्रैवल एजेंसी ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान में स्वीकार किया है कि प्रासंगिक समय पर वह गुडलक ट्रैवल्स के साथ काम कर रही थी और वह पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट आवेदन जमा करती थी और पासपोर्ट प्राप्त करती थी। उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट होता है कि वह आवेदन तैयार करने और उन्हें पासपोर्ट कार्यालय के समक्ष दाखिल करने और उससे जुडे मामलों से निपटने में एस. राजेन्द्रन (ए-3) की सहायता कर रही थी। यह तथ्य म्गच.2 से भी स्पष्ट है, जो

अभियोजन पक्ष की ओर से एक फोल्डर है और इसका ''गुडलक ट्रैवल्स'' शीर्षक है।

16. अन्य प्रासंगिक पहलू ए-3 के संस्वीकृति बयान का स्वीकार्य हिस्सा है जिसे प्रदर्श पी-215 के रूप में चिन्हित किया गया है और जिसके आधार पर उसके यहां से जब्त किये गये जाली/गढे हुये रबर स्टांप सील, एम.ओ. 1 से 3 की बरामदगी हुई। ग्राम प्रशासनिक अधिकारी (पीडब्लू-15) और ग्राम मेनियाल की उपस्थिति में म्गच.216 के तहत आदेश मजहर अभियोजन पक्ष को भी साबित करता है और अपीलकर्ता के पक्ष को खारिज करता है।

17. विचारण न्यायालय ने पासपोर्ट आवेदनों म्गच.2 से च्.43 के सत्यापन और अवलोकन पर पाया कि ये गुडलक ट्रैवल्स द्वारा दायर किये गये थे। यह इंगित किया गया है कि प्रदर्श पी-2 (पासपोर्ट आवेदन) में संबंधित आवेदन अर्थात श्री रसूल ने मेसर्स गुडलक ट्रैवल्स को अपने पासपोर्ट से संबंधित मामले से निपटने और अपनी ओर से इसे प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया था। पीडब्लू-12 और पीडब्लू-13 के साक्ष्य भी उपरोक्त पहलू पर विश्वास कराते है। इसके अलावा, हम पहले ही नोट कर चुके है कि अपीलकर्ता (ए-5) ने धारा 313 के तहत अपनी परीक्षा में स्वीकार किया है कि वह गुडलक ट्रैवल्स के साथ काम कर रही थी और

वह पासपोर्ट कार्यालय में आवेदन जमा करती थी और से पासपोर्ट प्राप्त करती थी।

18. इसके बाद, अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि पुलिस सत्यापन फॉर्म, अर्थात प्रदर्श-128 से 136 और 161 से 202। इस तथ्य के आलोक में जाली साबित नहीं हुये थे कि पीडब्ल्यू-16 और 29 के बाद के हस्ताक्षर हस्तलेखन विशेषज्ञ पीडब्ल्यू-28 को उनकी राय के लिए नहीं भेजा गया। उक्त तर्क श्री सेल्विन (पीडब्लू-26), डीएसपी, डीसीआरबी, रामनाड के स्पष्ट बयान के मद्देनजर खारिज किया जा सकता है, जिन्होनें कहा है कि जैसे ही पासपोर्ट कार्यालय से व्यक्तिगत विवरण, पासपोर्ट आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे, पुलिस सत्यापन के बाद, उन्हें इस उद्देश्य के लिए बनाए गए रजिस्टर में दर्ज किया गया और प्रत्येक आवेदन को एक नंबर दिया गया और सभी आवेदनों को रिपोर्ट के लिए संबंधित पुलिस स्टेशनों को भेजा दिया गया। उन्होंने आगे बताया कि संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापन के बाद, पेपर संबंधित पासपोर्ट कार्यालयों को अग्रेषित करने के लिए फिर से डीएसपी, डीसीआरबी के कार्यालय में आएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि 42 आवेदन प्रपत्र, अर्थात म्गच.2 से म्गच.43 डीएसपी, डीसीआरबी, रामनाड के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि ये फॉर्म न तो सत्यापन के लिए पुलिस उप-निरीक्षक

तिरूवदनई को भेजे गये थे और न ही एसआई पुलिस से वापस प्राप्त किये गये थे और पासपोर्ट जारी करने की सिफारिश के लिए पासपोर्ट कार्यालय, त्रिची को नहीं भेजले गये थे। श्री नटराजन (पीडब्लू-16), डीएसपी, आर. मुनियादी (पीडब्लू-29), पुलिस उप-निरीक्षक के साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उन्होंने सत्यापन फार्म पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। पीडब्लू-29 ने विशेष रूप से कहा कि प्रासंगिक समय के दौरान, पासपोर्ट आवेदन (प्रदर्श पी-2 से 43) उनके कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए थे और उन्होंने सत्यापन फार्म एक्सएच.पी-161 से पी-202 पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। उनके बयानों ओर दावों से यह स्पष्ट है कि उक्त 42 आवेदनों के सत्यापन फॉर्मों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है और ट्रायल जज का यह निष्कर्ष सही था कि वे जाली थे। डीएसपी, डीसीआरबी, रामानाद के कार्यालय में बनाए गए रजिस्टरों का केवल गैर-उत्पादन, पीडब्लू 16, 26 और 29 के साक्ष्य के प्रकाश में इस मामले में कमजोरी नहीं माना जा सकता है, जो उन दस्तावेजों से संबंधित प्रासंगिक अधिकारी है।

19. इस तर्क के संबंध में कि डॉ. मुथु (पीडब्लू-18), सिविल सर्जन, सरकारी अस्पताल और श्री वैरावन पीडब्लू-20, कार्यकारी अधिकारी (सेवानिवृत), नगर पंचायत, थोंडी, रामानाद जिले, जो स्वतंत्र गवाह के

नमूना हस्ताक्षर जाली नहीं थे, उनके साक्ष्यों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आवेदनों में उनके हस्ताक्षर जाली थे। उनके साक्ष्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है और विचारण न्यायालय ने इसे सही ही स्वीकार किया है।

20. ग्राम प्रशासनिक अधिकारियों के साक्ष्य और उनके द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों के संबंध में, यह बताना प्रासंगिक है कि उन दस्तावेजों को संबंधित गांवों के ग्राम प्रशासनिक अधिकारियों और उन अधिकारियों द्वारा जिन्होंने इसके लिए जांच की उचित रूप से प्रदर्शित किया गया था, उसमें कोई कानूनी खामी नहीं है।

21. जहां तक एम.ओएस. 1 से 3 की वसूली से संबंधित तर्क है- पुलिस अधीक्षक, रामनाद की मुहरें, जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा सही निष्कर्ष निकाला गया है, संबंधित ग्राम प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस उपाधीक्षक, सिविल सर्जन के साक्ष्य (पीडब्लू-18), सरकारी अस्पताल, नगर पंचायत के कार्यकारी अधिकारी (सेवानिवृत) (पीडब्लू-20) यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त है कि आवेदन में दिए गए गलत पते के समर्थन में पासपोर्ट प्राप्त करने के उद्देश्य से जाली प्रमाणित दस्तावेज बनाए और संलग्न किए गए थे। उपरोक्त तथ्य ग्राम प्रशासनिक अधिकारी (पीडब्लू-15), तिरूवदनानी के साक्ष्य, ए-3 द्वारा दिए गए इकबालिया बयान से भी स्पष्ट है,

जो उनकी उपस्थिति में साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दर्ज किया गया था और एम.ओ. 1 से 3 जो ए-3 के आदेश पर मजाहर प्रदर्श पी-216 की आड़ में बरामद किए गए थे और साक्ष्य के स्वीकार्य हिस्से को बरामद किया गया था जिसे प्रदर्श पी-215 के रूप में चिन्हित किया गया है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा बताए गए विरोधाभास केवल प्रकृति में तुच्छ है जैसा कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनो द्वारा पाया गया है, तद्नुसार, इसे भौतिक नहीं माना जा सकता है ताकि संस्करण के संस्करण को प्रभावित किया जा सके। हम संतुष्ट है कि वसूली में कोई कमी नहीं है और अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को खारिज करते है।

22. अगले तर्क पर आते है, अर्थात, मुह एम.ओ. 1 से 3 की छाप के संबंध में एफएसएल, चेन्नई की रिपोर्ट प्रदर्शित करने में अभियोजन पक्ष की विफलता अभियोजन पक्ष के लिए घातक है, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि पीडब्लू 16, 26 और 29 पुलिस डीएसपी और एसआई ने उपरोक्त मुहरों की वास्तविकता से स्पष्ट रूप से इनकार किया है क्योकि इन्हें ए-3 के संस्वीकृति बयान के अनुसार बरामद किया गया था और विशेषज्ञ की राय का अभाव अपने आप में अपीलकर्ता के दायित्व से मुक्त नहीं होता है।

23. यह तर्क कि सुंदरम पीडब्लू-14 के साक्ष्य, जिनकी जांच अपीलकर्ता की लिखावट को साबित करने के उद्देश्य से की गई थी और जिनकी अपीलकर्ता की लिखावट की पहचान करने की क्षमता ही संदिग्ध है। जैसा कि प्रत्यर्थी द्वारा सही बताया गया है कि धारा 313 के तहत पूछताछ करते समय ए-5 (यहां अपीलकर्ता) द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि वह 1987-91 के दौरान पीडब्लू-14 द्वारा संचालित सुगिर टूर्स एंड ट्रेवल्स में काम कर रही थी। इसलिए, पीडब्ल्यू-14 की साक्ष्य, जिन्होंने प्रदर्श पी-2 से पी-43 में ए-5 के रूप में उपलब्ध लेखन की पहचान की और वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 47 के तहत स्वीकार्य है। हम इस बात से संतुष्ट है कि विचारण न्यायालय और हाई कोर्ट द्वारा आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप को षडयंत्र के तहत किया जाना साबित मानते हुए इस पर सही कार्रवाई की गई।

24. अंत में, अपीलकर्ता का तर्क है कि केवल इसलिए कि आवेदन किसी व्यक्ति द्वारा भरे गये थे, स्वंय में यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि कोई व्यक्ति षड़यंत्र का एक भाग है। मौजूदा मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा यह बहुत अच्छी तरह से स्थापित किया गया है कि भरे हुये पासपोर्ट आवेदन ए-5 यहां अपीलकर्ता के द्वारा नियोजक ए-3 के द्वारा जमा कराये गये अधिकांश पासपोर्ट आवेदन प्रदर्श पी-2 लगायत प्रदर्श पी-43 में झूंठी

विशिष्टियां अपीलार्थी ए-5 के द्वारा त्रिची में भरी गई अभियोजन पक्ष ने यह भी स्थापित किया है कि ए-5 ने पासपोर्ट आवेदन में आवेदकों के निवास स्थान के बारे में गलत विवरण दिया है, क्योंकि उसने 313 बयान में स्वीकार किया था कि वह गुडलक ट्रेवल्स में काम कर रही थी और तैयार में राजेंद्रन (ए-3) की सहायता कर रही थी। आवेदन और उन्हें पासपोर्ट कार्यालय के समक्ष दाखिल करने के साथ-साथ उनसे जुड़े मामलों को संभालना जो स्पष्ट रूप से साबित करते है कि ए-5 ने उक्त पासपोर्ट आवेदन (प्रदर्श पी-2 से पी-43) भर दिये है। हम इस बात से भी संतुष्ट है कि अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि धोखाधडी के उद्वेश्य से झूंठे दस्तावेज बनाए गए थे और पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए उन दस्तावेजों को असली के रूप में इस्तेमाल किया गया था।

25. अभियोजन पक्ष द्वारा रखे गए, विचारण न्यायालय द्वारा विश्लेषण किए गए और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए भारी सबूतों के प्रकाश में, निचली अदालतों द्वारा तथ्य के समवर्ती निष्कर्षो के साथ इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि जहां कुछ गंभीर कमजोरी हो और साक्ष्य की विवेचनो निष्कर्ष विकृत है। इसके अलावा, यह न्यायालय आमतौर पर उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य की विवेचना में

हस्तक्षेप नहीं करेगा और पुनः विवेचना केवल तभी स्वीकार्य है जब कानून या प्रक्रिया की कोई त्रुटि हो और निष्कर्ष विकृत हो।

26. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता के पास एक छोटा बच्चा है, दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए हम सजा को दो साल से घटाकर छह महीने कर देते है।

27. उपरोक्त संशोधन अर्थात सजा में कमी के साथ, अपील का निस्तारण किया जाता है।

अपील निस्तारित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मनीष शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।